(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 01/2026

पंजीकरण संख्या :– 2026/3

बउनवान

चंद्रकांत मीना निवासी चौकड़ी, चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, छबड़ा जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 26.02.2026

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.11.2025 को लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, छबड़ा को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जो आप द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, छबड़ा के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 29.01.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, छबड़ा को जरिये सम्मन क्रमांक 59–60 दिनांक 29.01.2026 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 59–60 दिनांक 29.01.2026 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, छबड़ा द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/आरटीआई/2026/183–184 दिनांक 23.02.2026 से अपीलार्थी को भी प्रतिलिपि भिजवाते हुए जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि :–

1. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.11.2025 को प्रस्तुत ऑनलाईन आरटीआई आवेदन का परीक्षण किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अंतर्गत परिभाषित अभिलेखीय सूचना के रूप में स्पष्ट नहीं थी। आवेदन में प्रश्नात्मक/स्पष्टीकरणात्मक जानकारी चाही गई थी एवं सूचना चिकित्सा विभाग से संबंधित थी एवं ऑनलाईन पोर्टल पर तकनीकी समस्या होने से प्रार्थना पत्र ऑनलाईन स्थानांतरण नहीं किया जा सका। आवेदन को ऑफलाईन मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, छबड़ा को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित किया गया।
2. मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, छबड़ा द्वारा पत्रांक/स्था./2026/130 दि. 13.02.2026 से प्राप्त सूचना के अनुसार छबड़ा में जन औषधि केंद्र संचालित नहीं है। शेष सूचना का जवाब अपेक्षित नहीं है।
3. बिंदु संख्या 03 का उत्तर अपेक्षित नहीं है।

4. इस कार्यालय की ओर से किसी प्रकार की सूचना जानबूझकर रोकी नहीं गई है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार हीं कार्यवाही की गई है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा 04 बिंदुओं का जवाब पत्र क्रमांक/आरटीआई/2026/183–184 दिनांक 23.02.2026 से अपीलार्थी को भिजवा दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ